उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-3
संख्या: 39/2025/96/23-3-2025-2(ईएस)/2025 टी0सी0
लखनऊ, दिनांक: 20 फरवरी, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

महाकुम्भ-2025 के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु श्री श्रीराज, प्रमुख अभियन्ता, ग्रामीण सड़क, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक: 21.02.2025 से दिनांक: 27.02.2025 तक मेला परिसर, प्रयागराज में कैम्प करेंगे तथा अन्य सम्बन्धित अभियन्ताओं के साथ लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करते हुए निम्न दायित्वों का निर्वहन करेंगे:-

(1) अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज/कौशाम्बी वृत्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर कुम्भ मेला परिसर में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थापित पाण्टून पुल की स्टेबिलिटी, बोल्ट आदि, पाण्टून पुल के अन्त में लगी बैरिकेटिंग, चेकर्ड प्लेटों/बैरिकेटिंग की मरम्मत और रख-रखाव एवं विभाग द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु की गयी अन्य व्यवस्थाओं का प्रतिदिन सघन निरीक्षण सुनिश्चित करायेंगे एवं निरीक्षणोपरान्त प्रतिदिन अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(2) जिला प्रशासन, मेला अधिकारी, कुम्भ मेला प्रयागराज तथा अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क स्थापित रखते हुए महाकुम्भ-2025 के प्रमुख स्नान महाशिवरात्रि के सफल आयोजन हेतु निरन्तर सजग रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(3) कुम्भ मेला से सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज एवं अन्य क्षेत्रों से कुम्भ मेला प्रयागराज में कार्यरत लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित समस्त अधिकारियों की मेला क्षेत्र में स्थित कार्यालय में रूकने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

(4) कुम्भ मेला क्षेत्र में कार्यरत समस्त मेट/लेबर को मेला क्षेत्र में ही रूकने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उक्त कार्मिकों की सेवायें तत्काल उपलब्ध हो सके।

(5) इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष के पत्र दिनांक 18.01.2025 द्वारा 30 सहायक अभियन्ताओं का पाण्टून पुलों के निरीक्षण का दायित्व सौंपा गया है। उक्त सहायक अभियन्ताओं द्वारा किये जा रहे निरीक्षण कार्य का सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(3) प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज।

(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।